

तारीख हुकम	कार्यवाह मय इनीशियल जज
28/7/23	<p>वकील प्राची के प्राथम-पत्र पर प्रभावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राची द्वारा प्राथम पत्र अपेश 22 नियम 03 एवं संपत्ति धारा 15) सी.पी.सी. पेश किया गया। अधिवक्ता अप्राधीगण द्वारा एतराज जादिर नही करने के कारण प्रा० पत्र 022R3 CPC स्वीकार किया जाता है। प्रा० पत्र में शिर्षक में लाल स्याही से पक्षकारण का अंकन किया जावे। तत्पश्चात् वकील प्राधीगण ने प्राथम-पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारण का आपसी राजीनामा पेश हो चुका है। मुताबिक राजीनामा बाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहता है। प्रभावली का अवलोकन किया। प्राधीगण द्वारा प्राथम-पत्र नहीं चलाने के कारण प्राधीगण का प्राथम-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रभावली दाखिल दफ्तर है।</p>
	<p>अधिवक्ता अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)</p>

